327

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 1997 (फाल्गुन 23, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले में अपहरण एवं लूट की घटनायें घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इंदौर में ओ. डी. ए. प्रोजेक्ट के तहत जारी सामुदायिक विकास की गतिविधियां बंद होने की ओर नगरीय कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अरुण वोरा, सदस्य, दुर्ग जिले के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, भिलाई में पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के कटनी रेलवे स्टेशन पर अवैधानिक गतिविधियां होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री प्रभु सिंह ठाकुर, सदस्य, विदिशा जिले की कुरवाई अनुविभाग की पुलिस द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बद्रीलाल यादव, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, रायगढ़ जिले की शराब दुकानों की नीलामी में अनियमितता होने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, छतराम देवांगन, प्रेम सिंह सिदार, सदस्य, रायगढ़ जिले की बालिकाओं से अनैतिक कार्य कराये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, पारसचंद जैन, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में गेहूं की खरीदी न होने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर एवं मंडला जिले में राजमार्गों के पुलों पर अवैध वसूली होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, छतराम देवांगन, डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, सदस्य, प्रदेश में बुनकर सहकारी समितियों का कार्य ठप्प होने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले के सक्ती अनुविभाग में पुलिस प्रताड़ना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिका की प्रस्तुति

श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम इंगोरिया में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

4. राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का वक्तव्य

श्री माधवसिंह ध्रुव, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, दिनांक 20 फरवरी, 1997 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्रमांक 1426) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

-2-

निर्धारित समय	5. वर्ष 1997-98 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)	
1 घन्टा 30 मि. (शेष 50 मि.)	(1) मांग संख्या 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा	(2) मांग संख्या 49 मांग संख्या 64	अनुसूचित जाति कल्याण अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

3 घन्टे — श्री बी. आर. यादव, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 5 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. अशासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 3 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मध्यप्रदेश स्थानीय निकायों की सीमा-क्षेत्रों में स्थित दरबारी या सिक्का आदेश द्वारा हस्तांतरित या अन्यथा स्थानीय निकायों के प्रबंधन में आयी दखल रहित भूमियां राज्य सरकार में वेष्ठित किया जाना विधेयक, 1997 (क्रमांक 8 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री नेमीचन्द जैन, रणजीत सिंह गुणवान तथा सोबरन सिंह मावई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. — "सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाय".

(2) श्री भूपेश बघेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. — "सदन का यह मत है कि जगदलपुर जिले की रावघाट परियोजना प्रारंभ करने हेतु प्रदेश शासन, केन्द्र शासन से अनुरोध करे".

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. — "सदन का यह मत है कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के समुचित इलाज हेतु पृथक् चिकित्सा इकाई का गठन किया जाय".

(4) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. — "सदन का यह मत है कि चंबल संभाग में नदी-नालों के समीप की कृषि भूमि के कटाव तथा चंबल नहर से सीपेज को रोकने एवं ड्रेनेज प्रणाली की सफाई हेतु शासन तत्काल कार्यवाही करे".

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 13 मार्च, 1997